



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा-846004

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकुमारगंज स्थित पुरानी बस पड़ाव वाली विश्वविद्यालय की भूमि पर डिजनीलैण्ड मेला का आयोजन के लिए आवंटन हेतु लौटरी पद्धति के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में क्रय-विक्रय उपसमिति के समक्ष बैठक आयोजित की जाएगी। राजकुमारगंज स्थित पुरानी बस पड़ाव वाली विश्वविद्यालय की भूमि पर डिजनीलैण्ड मेला का आयोजन अप्रैल से जुलाई तक की अवधि में कुल 30 (तीस) दिनों के लिए मेला का आयोजन किया जाना है जिसका निर्धारित न्यूनतम किराया पूर्व निर्धारित किराया में 10% का बढ़ोतरी करते हुए 15454/- (पन्द्रह हजार चार सौ चौवन) रु0 प्रति दिन निर्धारित किया गया है।

इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर मेला आयोजन हेतु भूमि के आवंटन में भाग ले सकते हैं-

1. मेला कम्पनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
2. डिजनीलैण्ड मेला में लगने वाले झुला का फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) (छ: माह अवधि) का होना चाहिए।
3. संवेदक के नाम तीन साल पूर्व का इन्कम टैक्स रिटर्न का फाईल की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. इच्छुक व्यक्ति लौटरी पद्धति के माध्यम से डाक में भाग लेने के पूर्व सुरक्षा धन के रूप में आवेदन के साथ कुलसचिव ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय के नाम 100,000/- (एक लाख) रु0 का डिमान्ड ड्राफ्ट तथा आधारकार्ड के छाया प्रति के साथ हस्तलिखित आवेदन दिनांक 10.07.2024 से लेकर 24.07.2024 तक कुलसचिव के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
5. राजकुमारगंज स्थित पुराना बस पड़ाव मात्र 30 (तीस) दिनों के लिए आवंटित किया जाएगा। संवेदक/आवेदक यदि 30 दिनों के आवंटित अवधि में विस्तार के इच्छुक हो तो उनके आग्रह पर पूर्व बन्दोवस्ती दर 15454/- में 10% की बढ़ोतरी करते हुए मात्र एक सप्ताह के लिए अवधि विस्तार किया जाएगा पुनः तदनुसार पूर्व बन्दोवस्ती दर 17000/- में 10% की बढ़ोतरी करते हुए मात्र पुनः एक सप्ताह के लिए अवधि विस्तार किया जाएगा। कुलमिलाकर निर्धारित दर में क्रमशः 10% की वृद्धि करते हुए मात्र 14 दिनों के लिए अवधि विस्तार दी जाएगा।
6. राजकुमारगंज में मेला आयोजन हेतु यदि एक ही संवेदक/आवेदक आवेदन करता है तो वैसी परिस्थिति में उसी आवेदित/संवेदक को मेला आयोजन की अनुमति दी जाएगी। यदि एक से अधिक संवेदक मेला आयोजन हेतु

आवेदन करते हैं तो लौटरी पद्धति अपनाते हुए प्रथम तीन संवेदक तक का चयन किया जाएगा।

7. चयनित संवेदक को मेला आवंटन की कुल राशि 4,63,620/- (चार लाख तिरसठ हजार छः बीस) रु0 आवंटन से पूर्व विश्वविद्यालय कोष में एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। नहीं जमा करने की स्थिति में सुरक्षा धन राशि जप्त करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त आवेदक को आवंटित किया जाएगा। द्वितीय संवेदक भी पूरी राशि जमा करने में असफल होते हैं तो तृतीय संवेदक के साथ आवंटन में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो आगे भी संवेदक का चयन में यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
8. मेला लगाने के पूर्व जिला प्रशासन, नगर निगम, अग्निशमन कार्यालय, विश्वविद्यालय एवं नगर थाना से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदेही स्वयं मेला आयोजक की होगी।
9. मेला के आयोजन अवधि में विधि व्यवस्था की सम्पूर्ण जवाबदेही आयोजक की होगी।
10. मेला आयोजन के क्रम में यदि विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति की क्षति होती है तो उसकी भरपाई स्वयं मेला आयोजक को करनी होगी।
11. प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारणों से होने वाली क्षति की पूर्ति विश्वविद्यालय स्तर से अनुमान्य नहीं होगा।
12. मेला में धुम्रपान एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त पावंदी रहेगी।
13. मेला में यदि ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किया जाता है तो उसका स्वर धीमा रखना होगा।

अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय बिना कारण बताये सफल वक्ता के आवंटन को स्थगित/निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से,

ह0/-


कुलसचिव

दिनांक : 20/03/2024

ज्ञापांक : 29-36/24

प्रतिलिपि प्रेषित

- (1) निविदा आमंत्रण सूचना प्रसारण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाने हेतु।
- ✓ (2) विकास पदाधिकारी, ल0 ना0 मिथिला वि0वि0, दरभंगा को विश्वविद्यालय के बेबसाइट पर डलवाने हेतु।
- (3) उप-कुलसचिव (प्रथम), ल0 ना0 मिथिला वि0वि0, दरभंगा।
- (4) नगर निगम, दरभंगा को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। (6) अंचलाधिकारी, शहर, दरभंगा।
- (7) जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- (8) कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।


कुलसचिव

